

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई०ए०एस०

प्रकरण संख्या - 67/2020 (Bank Case)

GCMS No. 2020/00192

एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता- एच.डी.एफ.सी. बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, 3, पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिकसिटी पेट्रोल पम्प एम. आई. रोड, जयपुर (राज.) 302006जरिये अधिकृत प्रतिनिधि श्री जितेन्द्र सिंह।
- प्रार्थी /सिक्वोर क्रेडिटर

बनाम

1. मैसर्स ईशर एन्टरप्राइजेज जरिये प्रोपराईटर तरनजीत सिंह बग्गा, पता-शॉप नंबर -1, भाटिया कॉलोनाईजर, कोटा, (राज.) 324008 एवं मकान नंबर-सी-10, इन्द्रा कॉलोनी, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) 324008 - (ऋणी)
 2. श्री तरनजीत सिंह बग्गा पुत्र श्री इन्द्रजीत सिंह बग्गा, पता-शॉप नंबर -1, भाटिया कॉलोनाईजर, कोटा, (राज.) 324008 एवं मकान नंबर-सी-10, इन्द्रा कॉलोनी, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) 324008
 3. श्रीमती कुलदीप कौर पत्नी श्री इन्द्रजीत सिंह बग्गा पता- मकान नंबर-सी-10, इन्द्रा कॉलोनी, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) 324008
 4. श्री इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री भजन सिंह बग्गा पता- मकान नंबर- सी-10, इन्द्रा कॉलोनी, भीमगंजमण्डी, कोटा जंक्शन, कोटा (राज.) 324008 - सहऋणी/अप्रार्थीगण
- प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्व्यूरीटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेन्शियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्व्यूरीटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री एल.एस.राजपूत, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 22.12.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है एच.डी.बी. फाईनेन्शियल सर्विसेज लिमिटेड पता- एच.डी.एफ.सी.बैंक लिमिटेड, फर्स्ट फ्लोर, 3, पार्क स्ट्रीट, अपोजिट पिकसिटी पेट्रोल पम्प एम. आई. रोड, जयपुर (राज.) 302006 में स्थित है से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 ने दिनांक 31.07.2018 को रूपये 52,43,023/- (अक्षरे: रूपये बावन लाख, अडतालिस हजार तेईस मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थी सं० 2 लगायत 3 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्वोरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति प्लॉट नंबर-10, जे एन मार्शल, माला रोड कोटा जंक्शन जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-रोड 20 फीट, पश्चिम में- अन्य मकान, उत्तर में- अन्य प्लॉट, दक्षिण में- मकान श्री राजकिशोर पाण्डे का स्थित है। जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.1998 से अप्रार्थी श्रीमति कुलदीप कौर के नाम दर्ज है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 03.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि




56,66,529.97/- (अक्षरे रूपये छप्पन लाख, छियाषट् हजार, पांच सौ उनतीस रूपये व सतानवें पैसे मात्र) बकाया रकम दिनांक 30.06.2020 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थीगण जिम्मेदार है । प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 15.07.2020 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 15.07.2020 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 08.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 15.07.2020 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 15.07.2020 में प्रकाशन भी कराया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया । प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत को दिनांक 08.07.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र जनसत्ता में दिनांक 15.07.2020 को एवं दी इण्डियन एक्सप्रेस में दिनांक 15.07.2020 में प्रकाशन भी कराया इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है । अतः प्रार्थी बैंक द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है ऋणी/ बंधककर्ता अचल सम्पत्ति प्लॉट नंबर-10, जे एन मार्शल , माला रोड कोटा जक्शन जिला कोटा राजस्थान में स्थित है, जिसका कुल क्षेत्रफल 1500 वर्गफुट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-रोड 20 फीट, पश्चिम में- अन्य मकान, उत्तर में- अन्य प्लॉट , दक्षिण में- मकान श्री राजकिशोर पाण्डे का स्थित है । जो रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 09.10.1998 से अप्रार्थी श्रीमति कुलदीप कौर के नाम दर्ज है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/ कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 22.12.2020 को सुनाया गया ।


(उज्जवल राठौड़)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट
कोटा (राज०)

